भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 114

उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात

*114. **श्री राजकुमार रोतः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों के 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त नहीं रहने चाहिए और देश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 30 छात्रों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने विद्यालय उक्त प्रावधानों के अनुसार चल रहे हैं;

(ख) बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त मानदंडों को कितने विद्यालय पूरा कर रहे हैं तथा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के सभी विद्यालयों में शिक्षकों के अनुमोदित, स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात का जिला/ब्लॉक-वार और विद्यालय के नाम-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के उपबंधों का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कितने विद्यालयों में भवनों और शौचालयों की कमी है; और

(ङ) क्या सरकार की नई शिक्षा नीति का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज जारी करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात' के संबंध में माननीय सांसद श्री राजकुमार रोत द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश विद्यालय संबंधित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। निर्धारित मानदंडों और मानकों का अनुसरण करते हुए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। एनईपी 2020 में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को 30:1 से कम रखने तथा उन क्षेत्रों में जहाँ सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की संख्या अधिक है, वहाँ 25:1 से कम रखने की अनुशंसा की गई है।

यूडाइज+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र तथा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों की संख्या, नामांकन तथा शिक्षकों का विवरण **https://www.education.gov.in/en/parl_ques** पर उपलब्ध है।

यूडाइज+ 2024-25 के अनुसार, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

यूडाइज+ 2024-25 के अनुसार, बांसवाड़ा जिले में भवन, लड़कियों हेतु शौचालय तथा छात्रों के लिए शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से विद्यालय शिक्षा हेतु एक एकीकृत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना - 'समग्र शिक्षा' का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का पुनर्गठन/पुनर्रचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। समग्र शिक्षा के मानकों के अनुसार, वार्षिक योजनाएँ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार की जाती हैं और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडबल्यूपीई एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती है। इस योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा पूर्व में अनुमोदित मध्यवर्तनों हेतु राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार इन योजनाओं का तब मूल्यांकन और अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है।

पीएम श्री योजना भी 14,500 से अधिक चयनित विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों का दर्शाते हुए आसपास के अन्य विद्यालयों को नेतृत्व प्रदान करे।

*****